



मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755-2571772, फ़ैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@gmail.com

क्र मांक / 1117 / का.प्र.1 / बोर्ड / 2016
प्रति,

भोपाल दिनांक 8/8/16

1. अपर आयुक्त (1 / 2)
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
भोपाल
2. समस्त शाखा प्रभारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
मुख्यालय भोपाल
3. उपायुक्त
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
वृत्त _____
4. कार्यपालन यंत्री
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
संभाग _____
5. संपत्ति अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
प्रक्षेत्र _____

विषय:-गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के संबंध में।

1. परिपत्र क्र मांक 1920 / का.प्र.1 / मण्डल / 04 भोपाल दिनांक 07.10.2004 के द्वारा मण्डल में पदस्थ कार्मिकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने हेतु चैनल निर्धारित किया गया है। यह देखने में आ रहा है कि उक्त चैनल अनुसार प्रतिवेदन अंकित एवं स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। लेखा अधिकारी (वृत्त) संभागीय लेखापाल एवं संपत्ति प्रबंधक के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने हेतु निर्धारित चैनल अनुसार कार्यवाही न करते हुए गोपनीय प्रतिवेदन अपर आयुक्त को अग्रोषित किये गये हैं जिसमें उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है। यह उपरोल्लेखित परिपत्र में दिए निर्देशों का उल्लंघन है।

2. पूर्व से निर्धारित चैनल निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिकारी जिसका गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाना है।	प्रथम मत अंकित करने वाला प्रतिवेदक अधिकारी	द्वितीय मत अंकित करने वाला समीक्षक अधिकारी	अंतिम मत अंकित करने वाला स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
1	लेखा अधिकारी (वृत्त)	उपायुक्त (वृत्त)	मुख्य लेखा अधिकारी	आयुक्त
2	संभागीय लेखापाल	कार्यपालन यंत्री	उपायुक्त (वृत्त)	मुख्य लेखा अधिकारी
3	संपत्ति प्रबंधक	संपत्ति अधिकारी	उपायुक्त (वृत्त)	मुख्य संपदा अधिकारी

3. पुनः संदर्भित परिपत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2004 को संलग्न कर यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि मण्डल के संबंधित कार्मिक उक्त परिपत्रानुसार गोपनीय प्रतिवेदन लिखने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8/8/16
आयुक्त

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल भोपाल

4.8.16

परिपत्र

क्रमांक 1920/का.प्र.1/नं/04

ओपाल, दिनांक 7/10/2004

कार्यालयीन आदेश क्रमांक, जी-430, दिनांक 7.11.2003 द्वारा मुख्यालय के अपर आयुक्तों के मध्य कार्य विभाजन करते हुए वृत्त कार्यालयों का प्रभार भी सौंपा गया है। आदेश के बिन्दु क्रमांक-5 के अनुसार अपर आयुक्त अपने वृत्त के सभी अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन अपने स्तरांकन पत्रघात आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 3516/का.प्र.1/मण्डल/2000, ओपाल, दि. 17.11.2000 को निरस्त किया जाता है। तथा कार्यालयीन आदेश क्रमांक जी-131 दिनांक 10.6.1991 में संशोधन करते हुए मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने हेतु चैनल निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	जिसका गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाना है।	प्रथम स्तर अंकित करने वाला ॥ प्रतिवेदक अधि. ॥	द्वितीय स्तर अंकित करने वाला ॥ पुनर्विलोकन/समीक्षक अधि. ॥	अंतिम स्तर अंकित करने वाला ॥ स्विकृतकर्ता प्राधिकारी ॥
1.	मुख्यालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिसके सीधे निष्पन्न में हों	अगला नियंत्रणकर्ता अधिकारी यदि कोई हो।	कार्यालय ॥ शाखा ॥ प्रमुख
2.	मुख्यालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-
3.	निज सचिव/निज सहायक/अभिप्रलेखक	अध्यक्ष/आयुक्त अथवा जिसअधि. के सीधे निष्पन्न में हों।	-	अध्यक्ष/आयुक्त या नियंत्रणकर्ता अधि.
4.	शाखा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी /मुख्य प्रशासकीय अधि. /मुख्य संपदा अधिकारी	-	आयुक्त
5.	सहायक फंजी	कार्यपालन फंजी	उपआयुक्त	अपर आयुक्त
6.	सहायक वास्तुविद	मुख्य वास्तुविद	-	मुख्य वास्तुविद
7.	कार्यपालन फंजी	उपआयुक्त	अपर आयुक्त	आयुक्त

